कार्यालय :जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर (राज0)

—:कार्यालय आदेश:—

क्रमांक :— 83 दिनांक :— 07.09.26

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र क्रमांक Gen/XII/08/90/1995 दिनांक 05.09.2026 द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा जारी नगरीय निकायों के रिक्त पदों पर आम चुनाव, 2026 के कार्यक्रमानुसार प्रथम चरण का मतदान दिनांक 09.09.2026(बुधवार) तथा द्वितीय चरण का मतदान दिनांक 11.09.2026 (शुक्रवार) को हो रहे है, उन स्थानों पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु सम्बधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश को अधिकृत किया गया है।

अतः जैसलमेर न्यायक्षेत्र में जिला मुख्यालय—जैसलमेर में नगरपरिषद्, जैसलमेर के चुनाव दिनांक 09.09.2026(बुधवार) को होने से जिला मुख्यालय—जैसलमेर स्थित समस्त न्यायालयों में दिनांक 09.09.2026(बुधवार) को तथा पोकरण मुख्यालय पर नगरपालिका, पोकरण के चुनाव दिनांक 11.09.2026(शुक्रवार) को होने से पोकरण मुख्यालय स्थित समस्त न्यायालयों में दिनांक 11.09.2026 (शुक्रवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है।

साथ ही, यदि किसी मतदान केन्द्र पर पुनर्मतदान (Repolling) की स्थिति उत्पन्न होती है, तो संबंधित मतदान क्षेत्र में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश स्वतः प्रभावी रहेगा।

—Sd—

(ओमी पुरोहित)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जैसलमेर।

क्रमांक : स्था./2026/ 841 दिनांक : 07.09.26

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित/प्रदत्त है:—

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. जिला कलेक्टर, जैसलमेर।
3. जिला पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर।
4. समस्त न्यायालय/बोर्ड/प्राधिकरण, जैसलमेर न्यायक्षेत्र।
5. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन पोकरण/जैसलमेर।
6. नोटिस बोर्ड, न्यायालय हाजा।
7. कार्यालय प्रति।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जैसलमेर।